राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक प. 1(5)कार्मिक/क–4/17 जयपुर दिनांक : **16.03.2018**

:– आज्ञा –:

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 15.03.2018 के क्रम में निम्नलिखित प्रशिक्षु अधिकारियों को फील्ड प्रशिक्षण हेतु पूर्व में आवंटित जिले के स्थान पर उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन जिले का आवंटन किया जाता है:–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	पूर्व में आवंटित जिला	नवीन आवंटित जिला
1	संजय गोयल	हनुमानगढ़	**भरतपुर**
2	आकांक्षा बैरवा	बाड़मेर	**जोधपुर**
3	बिन्दु खत्री	नागौर	**बीकानेर**

उक्त प्रशिक्षु अधिकारीगण फील्ड़ प्रशिक्षण हेतु दिनांक 20.03.2018 को पूर्वान्ह में अपनी उपस्थिति संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर एच.सी.एम. रीपा जयपुर एवं इस विभाग को अवगत करायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
5. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग :– कृपया उपरोक्त अधिकारियों को सहायक कलक्टर के अधिकार प्रदान करने एवं इस संबंध में प्रसारित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
7. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं न्याय विभाग :– कृपया उपरोक्त अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान करने एवं इस संबंध में प्रसारित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. संबंधित जिला कलक्टर :– कृपया निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा प्रशिक्षण प्रगति से इस विभाग को एवं हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को समय–समय पर सूचित करें।
12. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं सह पाठ्यक्रम निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
13. संबंधित प्रशिक्षु आरएएस ।
14. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव